



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12611

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-17044 वर्ष 2025

असलम खान उर्फ सोनू

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: गिरजा शंकर मिश्रा, ओम प्रकाश, प्रतीक्षा राय, राम शील शर्मा,

संजय कुमार, विनोद सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, प्रकाश वीर त्रिपाठी

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता सुश्री प्रतीक्षा राय, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रकाश वीर त्रिपाठी और राज्य विधि अधिकारी श्री जेके चौरसिया को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक संत कबीर नगर जिले के धनघाटा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 403/2024 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत की मांग करता है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, सूचनाकर्ता की बहन को आवेदक की दुकान में एक कर्मचारी बताया गया है, जिसके तहत आवेदक ने उसे मासिक बकाया राशि का भुगतान नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया, बल्कि, उसने 25.6.2024 को उसे बिजली का झटका देकर और उसका गला घोटकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। प्राथमिकी में आठ दिनों की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्राथमिकी में अपराध के समय का भी उल्लेख नहीं किया गया है। संबंधित डॉक्टर द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, मृतक की गर्दन पर किसी भी चोट के कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं। बल्कि, उन्होंने कहा है कि उन्होंने गर्दन पर निशान देखा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि इसका मतलब गला घोटने का प्रयास था।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि शव परीक्षण रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की कहानी को और नकारती है। बल्कि यह इंगित करता है कि फेफड़ों की बीमारी के परिणामस्वरूप मृत्यु का कारण सदमा और सेप्टीसीमिया था। मौत का कारण न तो बिजली का झटका था और न ही गला घोटना। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 5.7.2024 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिनों की देरी और फेफड़ों की बीमारी के कारण मृत्यु का कारण सेप्टीसीमिया होने और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की **अनुमति** है।

9. आवेदक- **असलम खान उर्फ सोनू**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 19, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)